



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2019

संख्या 81/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

क. अनुसूची I – 2.5% में,—

- क्रम संख्या 33 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- क्रम संख्या 164 में, खाना (3) में, मद ii के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
"iii. मैराइन फ्यूल 0.5% (एफओ)";
- क्रम संख्या 224 में, खाना (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"63 [6305 32 00, 6305 35 00, 6309]";
- क्रम संख्या 234ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"234ग	8509	वेट ग्राइन्डर जिसमें ग्राइन्डर के रूप में पत्थर लगा हो";
-------	------	----------------------------------------------------------

- क्रम संख्या 235 से 242 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 6% में,—

- (i) क्रम संख्या 80क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"80कक	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने वोवेन और नॉन वोवेन बैग्स और बोरों, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो";
-------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) क्रम संख्या 201क और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
 (iii) क्रम संख्या 205 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"205क	8601	किसी बाह्य विद्युत स्रोत या विद्युत एक्यूमीलेटर द्वारा चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स
205ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे डीजल-विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक
205ग	8603	स्वचालक रेलवे या ट्रामवे कोचेस, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 से भिन्न
205घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे स्वचालित हों अथवा नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशाला, क्रैन्स, ब्लास्ट टेम्पर्स, ट्रैक लाइनर्स, टेस्टिंग कोचेस और ट्रैक जांच वाहन)
205ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वचालित न हों; मालगाड़ी, डाकघर कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो स्वचालित न हों (शीर्ष 8604 सम्मिलित नहीं है)
205च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वेगन, जो स्वचालित न हों
205छ	8607	रेलवे के भाग या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग-स्टॉक; जैसे रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये, और इनके भाग
205ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्सचर और फिटिंग; यांत्रिक सिगनल (विद्युत-यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इन्लैंड वाटर वेज, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्रैफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के भाग";

- (iv) क्रम संख्या 231ख के सामने, खाना (3) में, "स्लाइड फास्टर्नर्स" शब्द के बाद, "और इसके भाग" शब्द रखे जाएंगे;

ग. अनुसूची III – 9% में,—

- (i) क्रम संख्या 24क के सामने, खाना (3) में, "[नारियल पानी से भिन्न]", कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "[कच्चे नारियल का पानी और कैफीनेटेड पेय पदार्थों से भिन्न]", कोष्ठक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 (ii) क्रम संख्या 108 के सामने, खाना (3) में, "अन्य सामान" शब्दों के पश्चात्, "(अनुसूची II की क्रम संख्या 80कक में शामिल सामानों को छोड़कर)" कोष्ठक, शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे;
 (iii) क्रम संख्या 400 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000एमएम से अधिक न हो, अर्थात्:—

- (क) पेट्रोल, लिक्वूफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200सीसी से अधिक न हो; और
 (ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक न हो अर्थात्पेडिक शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए, बशर्ते कि भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से जो उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो से प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग अर्थात्पेडिक शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा";
 (iv) क्रम संख्या 446 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

घ. अनुसूची IV – 14% में,—

- (i) क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"12क	2202 99 90	कैफीनेटेड पेय पदार्थ";
------	------------	------------------------

ङ अनुसूची V– 1.5% में,—

- (i) क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
(ii) क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

च. अनुसूची VI– 0.125% में,—

- (i) क्रम संख्या 2 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"बहुमूल्य रत्न" (हीरे से भिन्न) और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न, चाहे ये तराशे गए हों या नहीं या ग्रेडेड हों या नहीं लेकिन इनको पिराया, मढ़ा या सेट न किया गया हो; अनग्रेडेड बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न जिन्हें परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिराया गया हो";
- (ii) क्रम संख्या 2क तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
- (iii) क्रम संख्या 3 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"सिंथेटिक या रिक्सट्रकटिड बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य रत्न चाहे ये तराशे या ग्रेडेड किए गए हों या नहीं लेकिन इनको पिराया, मढ़ा या सेट न किया गया हो; अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिक्सट्रकटिड बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य रत्न, जिन्हें परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिराया गया हो";
- (iv) क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक प्रथम अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 81/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

- (i) serial number 33A and the entries thereagainst shall be omitted;
- (ii) against serial number 164, under column (3), after item ii, the following item shall be inserted, namely: -
“iii. Marine Fuel 0.5% (FO)”;
- (iii) against serial number 224, under column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted namely:—
“63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309]”;

- (iv) after serial number 234B, and entries thereagainst the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“234C	8509	Wet grinder consisting of stone as grinder”;
-------	------	----------------------------------------------

- (v) serial numbers 235 to 242 and the entries thereagainst shall be omitted;

B. in Schedule II - 6%, -

- (i) after serial number 80A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“80AA	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods”;
-------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) serial number 201A and entries thereagainst shall be omitted;

- (iii) after serial number 205 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“205A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
205B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
205C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
205D	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
205E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
205F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
205G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
205H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing”;

- (iv) against serial number 231B, under column (3), after the words “Slide fasteners”, the words “and parts thereof”, shall be added;

C. in Schedule III - 9%, -

- (i) against serial number 24A, under column (3), after the words “coconut water”, the words “and caffeinated beverages” shall be added;

- (ii) against serial number 108, under column (3), after the words “other closures, of plastics”, the brackets, words, letters and figures “(except the items covered in serial number 80AA in Schedule II), shall be added;

- (iii) in serial number 400, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely:- “Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely:-

- (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and
- (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department”;

- (iv) serial number 446 and the entries thereagainst shall be omitted;

- D. in Schedule IV – 14%, -
- (i) after serial number 12 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -
- | | | |
|-------|----------|-------------------------|
| “12A. | 22029990 | Caffeinated Beverages”; |
|-------|----------|-------------------------|
- E. in Schedule V – 1.5%, -
- (i) serial number 3 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (ii) serial number 4 and the entries thereagainst shall be omitted;
- F. in Schedule VI – 0.125%, -
- (i) against serial number 2, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely:-
- “precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport”;
- (ii) serial number 2A and the entries thereagainst shall be omitted;
- (iii) against serial number 3, under column 3, for the existing entry the following entry shall be substituted namely:-
- “Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport”;
- (iv) serial number 4 and the entries thereagainst shall be omitted;
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.